



दिल्ली विकास प्राधिकरण

रिक्ति सूचना

वी.न. 09 / 2024 / काशा-1

दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा निम्नलिखित पदों को भरने के लिए पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करता है:-

उप निदेशक (मिनिस्ट्रीयल)-7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-11 में 04 पद

केंद्र / राज्य सरकार से संबंधित अधिकारी, जो समान पद धारण करते हैं या 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी या 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी अथवा समकक्ष।

पदों की संख्या डीडीए की आवश्यकता के आधार पर भिन्न हो सकती है। पात्रता मानदंड, आवेदन प्रारूप, नियम और शर्तों आदि के बारे में पूरी जानकारी के लिए कृपया डीडीए की वेबसाइट अर्थात् <https://dda.gov.in/latest-jobs> देखें।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30.09.2024 है।

आयुक्त (कार्मिक)

हमें फॉलो करें [f @ddaofficial](https://www.facebook.com/ddaofficial) [x @official_dda](https://www.x.com/official_dda) [@official_dda](https://www.instagram.com/official_dda) या डायल करें टोल फ्री 1800-110332



दिल्ली विकास प्राधिकरण

वी.न. 09 / 2024 / काशा-1

विषय: डीडीए में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) (7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11) के 04 पदों को भरना।

डीडीए प्रतिनियुक्ति के आधार पर 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 में उप निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के 04 पदों को भरने के लिए पात्र अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करता है। प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड और अन्य निबन्धन एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी:

उप निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड

“केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी, जो समान पद धारण कर रहे हों या 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी या 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी अथवा समकक्ष”

सामान्य शर्तें:

1. प्रतिनियुक्ति की अवधि शुरू में तीन वर्ष की होगी, जिसे वर्ष दर वर्ष आधार पर पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, हालांकि, दिल्ली विकास प्राधिकरण के विवेक पर प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक/विस्तारित अवधि पूरी होने से पहले किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
2. प्रतिनियुक्ति की निबन्धन एवं शर्तें, डीओपीएंडटी के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों और समय-समय पर संशोधित प्रावधानों द्वारा यथावश्यक परिवर्तनों सहित शासित होगी।
3. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. उम्मीदवार को मूल विभाग/संगठन में कैडर नियंत्रण प्राधिकरण के माध्यम से निर्धारित प्रारूप (प्रतिलिपि संलग्न) में आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। निर्धारित आवेदन प्रारूप का हिस्सा बनने वाले “नियोक्ता/कैडर नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणन” को डीडीए को आवेदन अग्रेषित करते समय संबंधित प्राधिकरण द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
5. पदों की संख्या डीडीए की आवश्यकता के आधार पर परिवर्तन के अधीन है।
6. इच्छुक और पात्र अधिकारियों के आवेदन, जिन्हें कार्यमुक्त किया जा सकता है, संबंधित कैडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कैडर मंजूरी, सतर्कता मंजूरी, संलग्न प्रपत्र में विस्तृत पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र, विधिवत प्रमाणित और प्रतिहस्ताक्षरित, पिछले दस वर्षों के दौरान लगाए गए छोटे और बड़े दंडों का विवरण और पिछले 05 वर्षों के सीआर डोजियर के साथ अग्रेषित किए जा सकते हैं।
7. आवेदक को मूल विभाग में मूल पद और 6वें और 7वें सीपीसी के अनुसार केंद्र सरकार के वेतनमानों के अनुरूप उसके द्वारा धारित पद का मूल वेतन भी बताना होगा। एसीपी/एमएसीपी के तहत वित्तीय उन्नयन का विवरण भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
8. आवेदकों के कैडर पद की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का स्तर एक्स-कैडर पद के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बराबर होना चाहिए। डीडीए में उप निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद से जुड़े कर्तव्य पूरी तरह से मिनिस्ट्रीयल हैं और वे भूमि और निर्मित संपत्तियों के आवंटन, संपत्तियों को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने, मानव संसाधन विकास, भूमि प्रबंधन, राजस्व, सतर्कता, भूमि पूलिंग, अनधिकृत कॉलोनियों में स्वामित्व अधिकार प्रदान करने आदि से संबंधित मामलों को देखते हैं।
9. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर पूरी तरह से स्थानांतरण पर तैनात किया जाएगा और आमेलन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. आवेदक की पात्रता डीडीए में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को निर्धारित की जाएगी।
12. सभी तरह से पूर्ण आवेदन आयुक्त (कार्मिक), दिल्ली विकास प्राधिकरण, ई-1, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली-110023 के कार्यालय में 30/9/24 तक पहुंच जाने चाहिए। अपूर्ण/देरी से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

आयुक्त (कार्मिक)

हमें फॉलो करें [f @ddaofficial](https://www.facebook.com/ddaofficial) [x @official_dda](https://www.x.com/ddaofficial) [@official_dda](https://www.instagram.com/ddaofficial) या डायल करें टोल फ्री 1800-110332